FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महुवा

सरकार बनाम श्री गोपाल S/o. मनोहरी माली नि० रौत

धारा 91 LR Act नं० 328/18 सन्

[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28-2-18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
28/2/18	आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से मुरारीलाल (भाई) उपस्थित आया है। आज श्री मान पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 9/3/18 को पेश हो।	मुरारी लाल (भाई)
09/03/18	आज पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है व अतिक्रमी स्वंय उपस्थित आया है। अत: ग्राम रौत की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को मौखिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	गोपाल

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या ...../18 तारीख रजू 9/3/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का धोरेडा ------- बनाम गोपाल ------ पुत्र मनोहरी ---जाति माली निवासी सौंत ---- तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 9/3/18

निर्णय

आज यह मुकदमा बमुकाम महवा ---- हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि अप्रार्थी गोपाल -------- ने ग्राम सौंत ------- को भूमि ख.न. 391 ------- रकबा 0.01 किस्म गैरमुमकिन रास्ता फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 ------- में बाडी --- कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 391 ---- रकबा 0.01 किस्म गैरमुमकिन रास्ता वाके ग्राम सौंत ----- से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.15 का 50 गुणा 8 रु. ------ शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल बाडी ---को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / ~~नीलाम~~ करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 63 ......पर
वर्ष 2017-18 .... बेदखली
8 रु. ..पै.....
की राशि तावानी ......
की जमा कायमी की गयी ।
दिनांक 21/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा